

Order Sheet [Contd]

Case No 83/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28-02-2017	<p>आवेदक/आरोपी सुनील की ओर से श्री गंभीरसिंह निगम अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद की ओर से अप0क्र0 03/2017 धारा 363, 366, 376, 120बी भा.द.वि एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री गंभीरसिंह निगम द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा आवेदक/आरोपी के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध दिनांक 06.02.2017 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। पीडिता जो कि वर्तमान में 19 वर्ष की वालिग है उसके द्वारा स्वेच्छया पूर्वक आवेदक के साथ दिनांक 11.01.2017 को वैवाहिक अनुबंधपत्र किया है और वह उसकी विवाहिता पत्नी है। पीडिता के द्वारा उसके विरुद्ध धारा 161 जा0फौ0 एवं धारा 164 दं.प्र. सं. के कथन एवं साक्षियों के कथनों में आवेदक/आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं आई है। पीडिता के द्वारा अपने कथनों में स्वयं की उम्र 19 वर्ष की होनी बताई है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत स्वीकार करते हुए उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादी रामकिशोर की रिपोर्ट के आधार पर कि उसकी भतीजी जो कि नावालिग है उसे दिनांक 03.01.2017 को सुबह पांच बजे लेट्रिन करने गई थी वहाँ से कोई बहला/फुसलाकर ले गया है जो कि शक के आधार पर चीता उर्फ जितेन्द्र निवासी थाना</p>	

बसैईया खेरिया जिला मुरैना पर शक होना व्यक्त किया। उक्त आधार पर धारा 363 भा.द.वि का अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण विवेचना में लिया गया है। दिनांक 06.02.2017 को पीडिता की दस्तयाबी की गई जो कि आरोपी/वर्तमान आवेदक सुनील जाटव से उसकी दस्तयाबी की गई। पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं उसका धारा 164 दं.प्र.सं. का मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराया गया, जिसमें यह आया है कि वह वर्तमान आवेदक सुनील के साथ गई थी। अन्य सहआरोपीगण के भी आरोपी सुनील के वैवाहिक अनुबंधपत्र लिखाए जाते समय मौजूद होना और इस प्रकार उनके द्वारा पीडिता के साथ अपराध घटित होने पर षड्यंत्र किये जाने का आक्षेप है। घटना के समय पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी इस आशय की साक्ष्य भी संकलित की गई है।

आरोपी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी निर्दोष है और पीडिता जो कि 19 वर्ष की होकर वालिग है उसने स्वेच्छया आरोपी के साथ विवाह किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण जो कि धारा 363, 366, 376, 120बी भा.द.वि एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अंतर्गत है जो कि घटना की समय पीडिता 16 वर्ष की होकर नावालिग होनी बताई गई है। ऐसी दशा में जबकि नावालिग पीडिता के साथ उक्त घटना होनी बताई गई है और घटना के संबंध में षड्यंत्र में वर्तमान आरोपी के कब्जे से पीडिता की दस्तयाबी की गई है। वर्तमान आवेदक जो कि घटना का मुख्य आरोपी है उस पर स्पष्ट रूप से नावालिग को ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में आक्षेप लगाया गया है।

विचारोपरांत आरोपी/आवेदक पर लगाए गए आक्षेप की प्रकृति एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस भेजा जावे।

वर्तमान प्रकरण पूर्ववत चालान प्रस्तुति हेतु दिनांक 07.03.2017 को पेश हो।

(डी0सी0थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद

डिक्रीदार कम्पनी की ओर से एक आवेदनपत्र प्रकरण आज शीघ्र सुनवाई में लिये जाने बावत् पेश किया जो कि पक्षकारों के मध्य विवाद समाप्त हो जाना व्यक्त करते हुए कार्यवाही बावत् सुनवाई का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत आवेदनपत्र में दर्शाए गए कारणों एवं आधारों को देखते हुए जो कि अधिवक्ता कम्पनी की ओर से अधिकृत होने से प्रकरण सुनवाई में लिया जाता है।

डिक्रीदार कम्पनी की अधिवक्ता ने एक आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 जा0दी0 का पेश कर इस आशय का निवेदन किया गया है कि डिक्री की कार्यवाही के संबंध में पूर्ण संतुष्टि हो जाना और इस आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारोपरांत जबकि कम्पनी के द्वारा उसकी डिक्री की पूर्ण संतुष्टि होना व्यक्त किया है और इस कारण कार्यवाही समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण आगे चलाए जाने का कोई औचित्य न होने से वर्तमान निष्पादन की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।